



2026:AHC:175451

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 7456 वर्ष 2026

कमलेश

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : छाया गुप्ता, सुजीत कुमार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. मैंने आवेदक के अधिवक्ता श्री सुजीत कुमार और राज्य की ओर से एजीए श्री शत्रुहन यादव की बातें सुनीं।
2. यह ज़मानत प्रार्थना-पत्र आपराधिक वाद संख्या 291/2025 (बीएनएस की धारा 103(1), 351(3), थाना मधुबन, ज़िला मऊ) में विचारण के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि हालांकि प्राथमिकी में आवेदक का नाम दूसरों के साथ शामिल है और आरोप है कि उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर धारदार हथियार से मृतक को चोट पहुँचाकर उसकी हत्या की, लेकिन आवेदक पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह झूठे हैं। वे आगे कहते हैं कि वाद के सूचक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं थे और जांच के दौरान भी विवेचनाधिकारी किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का बयान दर्ज नहीं कर सके; इसलिए बिना किसी ठोस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



साक्ष्य के, सिर्फ इसलिए कि सूचक ने प्राथमिकी में आवेदक का नाम बताया है, उसे इस मामले में जेल में रखा गया है।

4. उन्होंने आगे तर्क दिया कि सह-आरोपी संदीप, राजकुमार और राजेंद्र प्रसाद को भी इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने ज़मानत पर रिहा कर दिया है और आवेदक का मामला भी उन्हीं जैसा है।

5. वे आगे कहते हैं कि हालांकि इस मामले के अलावा आवेदक का दो अन्य मामलों में आपराधिक इतिहास भी है, लेकिन दोनों मामले मामूली प्रकृति के थे और इस मामले में वह 12.09.2025 से, यानी लगभग एक साल से जेल में है।

6. इसके विपरीत, एजीए ने ज़मानत प्रार्थना-पत्र का विरोध किया, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए तर्कों को चुनौती नहीं दे सके।

7. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बातें सुनीं और वाद के अभिलेख को देखा।

8. हालांकि, आरोप के अनुसार आवेदक ने दूसरों के साथ मिलकर धारदार हथियार से चोट पहुँचाकर मृतक की हत्या की, लेकिन इससे पता चलता है कि कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है।

9. इसके अलावा, भले ही अभियोजन पक्ष के अनुसार आवेदक और अन्य आरोपियों ने मृतक को धारदार हथियार से चोट पहुँचाई थी, लेकिन मृतक की शव परीक्षण आख्या से पता चलता है कि उसे एक कटा हुआ घाव, एक चोट और तीन खरोंचें आई थीं। इसलिए, शव परीक्षण आख्या प्राथमिकी में सूचक द्वारा बताई गई कहानी की पुष्टि नहीं करती है।

10. इसके अलावा, आवेदक के साथ सह-आरोपी संदीप, राजकुमार और राजेंद्र प्रसाद को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन उन्हें इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने ज़मानत पर रिहा कर दिया है और आवेदक का मामला भी उन्हीं के समान है।

11. साथ ही, हालांकि मौजूदा मामले के अलावा आवेदक का दो अन्य मामलों में आपराधिक इतिहास भी है, लेकिन दोनों मामले मामूली अपराधों से संबंधित हैं।

12. इसके अलावा, मौजूदा मामले में भी आवेदक 12.09.2025 से यानी लगभग एक साल से जेल में है।



13. इसलिए, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मेरी राय में, आवेदक ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है।

14. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह ज़मानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

15. आवेदक - कमलेश को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो ज़मानतदार पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ उक्त मामले में ज़मानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक तय तारीखों पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा, जब तक कि उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

16. यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होता है, तो अभियोजन पक्ष आवेदक की ज़मानत निरस्त करने के लिए इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देने के लिए स्वतंत्र होगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ केवल ज़मानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के लिए पक्षों द्वारा पेश किए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और इन टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अगस्त 19, 2026

शाहरोज़